न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(भरतपुर)

प्र0सं0, 165/2019,(जी.सी.एम.एस. न. 2019/00414) पीठासीन अधिकारीः— डॉ रवि कुमार गोयल (R.A.S.)

उनवान

रामहेत पुत्र बिस्सी उर्फ बिरधी जाति जाटव नि0नगला खमान तहसील डीग(मृतक)

1. सुरेश
2. विजय सिंह
3. राजेन्द्र
4. मोहन सिंह
5. बिहारीलाल

पुत्रगण रामहेत जातियान जाटव नि0 ग्राम नगला खमान तहसील डीग

6. शिवदेई पत्नी रामहेत जाति जाटव नि0 नगला खमान तहसील डीग

—वादीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील डीग प्रतिनिधि राज0 सरकार

—प्रति0

दावा बावत उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टि0 एक्ट,

निर्णय दिनांकः 05.09.2024

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 7/0.26,11/0.11, 30/0.25 किता 02 रकबा 0.62 हैक्टेयर वाके ग्राम चौमेदा तहसील डीग को हाल बन्दोवस्त में वादीगण के साविक आराजी खसरा नम्बर 7/1 वीघा 19 विस्वा, 12 मिन/10 विस्वा एवं 32/1 वीघा 10 विस्वा वाके ग्राम चौमेदा तहसील डीग से बनाये गये है। जोकि उक्त आराजी रामहेत के पिता विस्सी पुत्र टोडल की खुदकाश्त कब्जे की आराजी थी जिस पर उक्त विस्सी काबिज था। उसकी मृत्यु के बाद पिता रामहेत काबिज बतौर खातेदार रहा। दौराने दावा रामहेत की मृत्यु होने पर वादीगण लगातार उक्त आराजी पर काबिज हाकर काश्त कर रहे है। राज0 काश्तकारी कानून के प्रभाव में आने के समय रामहेत के पिता विस्सी की पटटेदार साल 1 दर्ज किया जा रहा है। वादीगण के पिता ने उक्त आबादी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये है तथा अव पिता की मृत्यु के वाद वादीगण पटटेदार के स्थान पर खातेदार घोषित फरमाये जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार/पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जबाव/रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें अंकित किया गया है कि आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

नम्बरान 7/0.26,11/0.11, 30/0.25 किता 02 रकबा 0.62 हैक्टेयर वाके ग्राम चौमेदा तहसील डीग में स्थित है। मुताविक राजस्व रिकार्ड के उक्त खसरा नम्बर शिवदेई पत्नी रामहेत, विहारीलाल, मोहनसिंह, राजेन्द्र, विजय सिह,सुरेश पिस0 रामहेत जातियान जाटव वाहिस्सा बरावर सा0 नगला खमान गैर खातेदार पटटेदार साल 43 रिकार्ड दर्ज है। उक्त खसरा नम्बरों का मिलान क्षेत्रफल एवं नकल जमाबन्दी सम्बत 2030—33से अवलोकन करने पर वर्तमान रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बरान का कुल रकबा में गत के मुकावले 0.01 हैक्टेयर की कमी ही है,वेशी नहीं है। उक्त खसरा नम्बरान पर मौके पर काबिज काश्त हो रही है।

जबाव व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर निम्नांकित तनकी कायम की गईः—

1. आया वादीगण विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 02 वादपत्र के अपने आपको पटटेदार के स्थान पर खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है?
2. दादरसी?

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में वादी पीडब्ल्यू—1, सुरेश पुत्र रामहेत के बयान लेखबद्व कराये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्बत 2064से 2067 प्रदर्श—1,नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श—2,नकल गत जमाबन्दी सम्बत 2010से 2013 प्रदर्श—4,नकल नामा0 संख्या 631 की फोटो प्रति,नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2072 से 2075 प्रदर्श—5,,नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2076 से 2079 प्रदर्श—6,नकल गत जमाबन्दी सम्बत 2026 से 2029 प्रदर्श—7,नकल गत जमाबन्दी सम्बत 2019 से 2022 प्रदर्श—8,नकल गत जमाबन्दी सम्बत 2030 से 2033 प्रदर्श—9 पेश की गई।

तनकी संख्याः—1, इस तनकी को सावित करने के लिए वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में गत जमाबन्दी संम्बत 2014 से 2017 पेश की गई है। जिसमें गत खसरा नम्बर 7,12,32 पर विरसी पुत्र टोडर पटटेदार साल 1 दर्ज है तथा यही इन्द्राज लगातार जमाबन्दी सम्बत 2026 से 2029,2019 से 2022 जमाबन्दी सम्बत 2030से 2033 के मौजूद है। गत जमाबन्दी सम्बत 2030से 2033में रामहेत पुत्र विस्सी पटटेदार दर्ज है तथा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से नवीन खसरा नम्बर 7/0.26,11/0.11, 30/0.25 किता 02 रकबा 0.62 हैक्टेयर वाके ग्राम चौमेदा तहसील डीग से बन्दोवस्त द्वारा बनाये जाना स्पष्ट है। वादीगण द्वारा पेश खसरा गिरदावरी से भी विवादित आराजी में वादीगण द्वारा लगातार फसल बाना तथा कब्जा होना सावित है। तहसीलदार डीग द्वारा पेश मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 23.03.2022में भी वादीगण का कब्जा होना स्वीकार किया है। वादीगण का पिता रामहेत व बाबा विस्सी शुरू से ही विवादित आराजी के पटटेदार दर्ज है तथा उन्हें कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त होना स्पष्ट प्रतीत है। वर्तमान में पटटेदार की कोई किस्म राज0टीनेंसी एक्ट में नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

इसलिए वादीगण विवादित आराजी के पटटेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकारी दर्ज कराने के अधिकारी होना सावित है। तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्याः–2, दादरसी तनकी संख्या 1 की विवेचना से वादीगण विवादित आराजी पर पटटेदार के स्थान खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

अतः वादी का वाद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य व कानूनी नजीरों तथा तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट्स से सावित होना प्रतीत है। ऐसी स्थिति में हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 टि0 एक्ट, को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :–

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर **स्वीकार** किया जाता है। 7/0.26, 11/0.11, 30/0.25 वाके ग्राम चौमेदा तहसील डीग के पटटेदार के स्थान पर वाहिस्सा बरावर खातेदार घोषित किये जाते है। तहसीलदार डीग राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही से पूर्व राजस्व रिकार्ड इत्यादि की सम्पूर्ण जॉच करलें तथा यह सुनिश्चित करलें कि वादीगण पर कोई नियमानुसार राजकीय शुल्क तो बकाया नहीं है,अगर राजकीय शुल्क बकाया हो तो सम्बन्धित वादीगण से नियमानुसार शुल्क/राशि जमा राजकोष कराई जाकर ही वर्णित आराजी का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner